भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1151
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत निधियां जारी करना

1151. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत ओडिशा के झारसुगुड़ा और बारगढ़ जिलों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने स्थानीय रोजगार मांगों को पूरा करने के लिए समय पर धनराशि जारी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है।

तीन वित्तीय वर्षों 2022-23 से 2024-25 (28.11.2024 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ओडिशा के झारसुगुड़ा और बरगढ़ जिलों में किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

कुल व्यय (रुपए करोड़ में)			
ओडिशा के जिले	**2024-25 (28.11.2024 की स्थिति के अनुसार)**	**2023-24**	**2022-23**
झारसुगुड़ा	23.94	54.91	56.36
बरगढ़	64.20	156.41	165.33

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

चालू वित्त वर्ष 2024-25 (28.11.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ओडिशा राज्य को मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक आकस्मिकता के लिए 3,031.49 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख): मंत्रालय ने मजदूरी के भुगतान में विलंब को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। लाभार्थियों के खाते में सीधे भुगतान के लिए समय पर भुगतान प्रक्रिया पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके कार्यान्वयन की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पीएफएमएस/एनईएफएमएस जैसे प्लेटफार्मों के उपयोग से भुगतान की वास्तविक समय पर निगरानी संभव हुई है। मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का कार्यान्वयन। इसे सभी राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।
(ii) मजदूरी का समय पर भुगतान, लंबित मुआवजा दावों का सत्यापन आदि सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श करना।
(iii) मजदूरी के समय पर भुगतान और विलंबित मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण।
(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे पीएफएमएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार रद्द लेन-देन को समय पर पुनः सृजित करें तथा अमान्य खातों में सुधार सुनिश्चित करें।
(v) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को जल्दी, सुरक्षित और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी, 2024 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य कर दिया गया है।
(vi) राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) के माध्यम से वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्ज करना।

*****